

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी०संख्या-4/यो०ब०-23/2016 ~~13.04~~ व०प० राँची, दिनांक- 24.06.2016

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए कुल रु० 691.11963 लाख (छः करोड़ एकानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ तीरसठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-192 दिनांक-30.03.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन प्रबंधन सुविधायें" के अंतर्गत कुल रु० 2500.000 लाख (पच्चीस करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के कार्यों के सफल संचालन हेतु दैनिक श्रमिकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन आदि का नियोजन, विभागीय सी०यू०जी० में मोबाईल सेट का क्रय एवं टैरिफ का भुगतान, संरचनाओं के जीर्णोद्धार/उन्नयन/सुसज्जीकरण के अतिरिक्त आवश्यक नये भवन एवं अन्य नये निर्माण एवं मरम्मति जप्त वन पदार्थों का हथालन, यथावश्यक प्रोफेशनल /व्यावसायिक सेवाओं की अभिप्राप्ति, आदि विभिन्न कार्य किये जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए परिशिष्ट-1 के अनुरूप कुल रु० 691.11963 लाख (छः करोड़ एकानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ तीरसठ रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति दी जाती है। उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	मजदूरी	19P240601101150103	1164.400	691.11963
2	आपूर्ति एवं समग्री	19P240601101150323	693.600	0.000
3	अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	19P240601101150543	590.000	0.000
4	क्रीड़ा प्रोत्साहन	19P240601101150761	52.000	0.000
योग			2500.00	691.11963

4. स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष 15-वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत संबंधित इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/झाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।
15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13/5/2015
13/5/2015

16. योजनाओं में व्यय, क्रय/भुगतान वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो०ब०-23/2016

13/12/16

व०प०/राँची, दिनांक-24.06.2016

प्रतिलिपि :- राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो०ब०-23/2016

13/12/16

व०प०/राँची, दिनांक-24.06.2016

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधाएं योजना" के अंतर्गत प्रमण्डलवार/कार्यालयवार कार्यरत दैनिक मजदूरों की सूची

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मजदूरों की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	v
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30	2707831
2	हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग	23	2001672
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	12	986018
4	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	7	607380
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	21	1731683
6	राजकीय व्यापार प्रमण्डल, हजारीबाग	2	171211
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	9	745665
8	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	16	1542281
9	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10	880659
10	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	18	1367946
11	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	10	971117
12	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	28	2536620
13	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	14	1157229
14	राजकीय व्यापार प्रमण्डल-2, लातेहार	1	69142
15	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	9	778591
16	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	13	1178544
17	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	19	1683856
18	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	6	538238
19	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	7	607380
20	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	7	607380
21	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	15	1316829
22	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	7	607380
23	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची	3	330811
24	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	22	1833751
25	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	12	953092
26	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	16	1262587
27	राँची वन प्रमण्डल, राँची	66	6038785
28	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	8	676522
29	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	15	1259297
30	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	10	814807
31	पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	13	1022234
32	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	13	1178544
33	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	12	986018
34	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	38	3186796
35	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची	5	592479
36	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची	3	330811
37	उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची	5	559553
38	उप वन संरक्षक, योजना, गैर जनजातीय क्षेत्र, राँची	4	399953
39	वन प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची	4	399953
40	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची	4	399953
41	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची	4	399953
42	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची	4	399953
43	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता झारखण्ड, राँची	4	399953
44	वन संरक्षक, साठ वाठ योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	2	171211
45	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची	3	273279
46	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो	4	399953
47	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा	4	399953

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मजदूरी की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	v
48	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची	3	330811
49	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर	4	399953
50	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग	2	228742
51	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, देवघर	4	399953
52	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	3	330811
53	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	3	330811
54	मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची	3	330811
55	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची	3	330811
56	वन संरक्षक, राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	4	399953
57	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची	4	432879
58	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	6	538238
59	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैमरा, झारखण्ड, राँची	3	330811
60	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफओडीओ, झारखण्ड, राँची	3	330811
61	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, राँची	4	399953
62	उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	3	330811
63	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची	4	399953
64	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची	4	399953
65	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	3	330811
66	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	2	261669
67	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	3	330811
68	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	4	399953
69	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, सथाल परगना, दुमका	3	330811
70	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	3	330811
71	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	3	330811
72	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू	3	330811
73	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	4	399953
74	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	2	228742
75	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	5	469095
76	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	4	399953
77	मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची	3	363737
78	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, राँची	3	330811
79	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	3	330811
80	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य प्र0, मेदिनीनगर	3	330811
81	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य प्र0, दुमका	2	171211
82	उप वन संरक्षक, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, झारखण्ड, राँची	12	1323243
83	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	47	4343860
84	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	6	669943
85	गज परियोजना, जमशेदपुर	10	913586
86	कोर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज	3	478800
योग :-		753	69111963

(५००० रूस्तगी)
सरकार के विशेष सचिव।